विषय: शीर्षस्तरीय अंतर्गत सूचीबद्ध एनएचएच होस्पिटल/ नरिंग होम में वार्ड प्रमार की पार्टियल के लिए वेतन सीमा का संशोधन - के संबंध में।

Sub: Revision of Pay ranges for entitlement of ward charges in NABH Hospitals and Non-NABH Hospitals / Nursing Homes empanelled under CHSS - reg.

दिनांक Dated: August 20, 2018

दिनांक 27/09/2017 एवं 07/02/2018 के तौर पर परिपत्र सं. सैक/शीर्षस्तरीय / वार्ड/2017-18

दिनांक 12.07.2018 के अंतर्गत विभाग के कार्यालय जाना सं. D_5-14011/3/2017- खंड 5- डीओएच के क्रियान्वयन के आधार पर शीर्षस्तरीय के अंतर्गत सूचीबद्ध होस्पिटल/नरिंग होम में वार्ड/वेड की पार्टियल के लिए वार्ड/बेड प्रमार के संशोधन के परिणामस्वरूप, सैक, अहमदाबाद के अंतर्गत एनएचएच होस्पिटल/ नरिंग होम के संबंध में शीर्षस्तरीय हिस्टोप्लास्माइड के वार्ड/बेड प्रमार की पार्टियल के लिए वेतन सीमा का तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

Consequent on revision of ward / bed charges for entitlement of ward/bed in Hospitals/ Nursing Homes empanelled under CHSS based on the implementation of the DOS OM No. D_5-14011/3/2017 - Section 5 – DOS dated 12.07.2018, the pay ranges for entitlement of ward/bed charges of CHSS beneficiaries in respect of NABH accredited Hospitals and Non- NABH Hospitals / Nursing Homes under SAC, Ahmedabad are revised with immediate effect as under:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>शीर्षस्तरीय के अनुसार</th>
<th>एनएचएच होस्पिटल के लिए पार्टियल प्रमार प्रति दिन</th>
<th>गैर-एनएचएच होस्पिटल/नरिंग होम के लिए पार्टियल प्रमार प्रति दिन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sl. No.</td>
<td>मूल वेतन प्रति माह (7वीं सैकड़ी के अनुसार)</td>
<td>वेतन सीमा का वार्ड/बेड की पार्टियल के संबंध में</td>
<td>वेतन सीमा का वार्ड/बेड की पार्टियल के संबंध में</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Upto ₹63,100/-</td>
<td>₹2500/-</td>
<td>₹1800/-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>₹63,101/- to ₹1,31,000/-</td>
<td>₹3500/-</td>
<td>₹2500/-</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>₹1,31,001/- and above</td>
<td>₹4000/-</td>
<td>₹2500/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ये सङ्केत प्राप्त करने के अनुसार से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(सूर्यकांट सोलंकी / Suryakant Solanki)
प्र. अ. (अंतर्यावेध) / Admin. Officer (CHSS)

सेवा में/To:
1. सभी कर्मचारी- सैकेन्ट के माध्यम से All employees - through SACNET
2. कल्याण अधिकारी / Welfare Officer (सेवानिवृत्त कर्मचारी वेब पोर्टल/Retired Employee web portal)
3. लेखा अधिकारी (सी.एच.एस.एच.) / Account Officer (CHSS)
4. विभागीय डिप्यूटेड / Departmental Dispensaries
5. सभी एनएचएच होस्पिटल तथा गैर होस्पिटल/नरिंग होम All NABH Hospitals and Non-NABH Hospitals / Nursing Homes.
6. प्राधान, एम.आई.एस.डी. / Head, MISP – अनुशंसा की जाता है कि सीएचएचएस वेबसाइट (निरामय) में सूचना को अपलोड करें।
With a request to place the information on CHSS website (Niramay).

प्र.प्र.सी.से: निर्देशक, सैक/डेक्के Director, SAC / DECU.
नियंत्रक, सैक Controller, SAC.

सूचनार्थी For kind information please.